कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30-04-2024

विषयः- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी के साथ की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 30-04-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पिण्डरा विधान सभा के जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारीयों के साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त (गोमती) श्री मनीष कुमार शान्डिल्य, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री श्याम नारायण सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त गोमती श्री आकाश पटेल, ए.डी.एम. सिटी श्री आलोक कुमार वर्मा व एस.डी.एम. पिण्डरा सुश्री प्रतिभा मिश्रा व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

- **निष्पक्ष व निर्विघ्न मतदान**
- **सेक्टर क्षेत्र/मतदान केन्द्रों का भ्रमण**
- **वल्नरेबल व्यक्तियों की पहचान व कार्यवाही**

1. सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने-अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त रूप से सेक्टर क्षेत्र व सेक्टर क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर, सभी तैयारियों को लेकर रिव्यू कर लें चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष निर्विघ्न कराया जाना है।
2. पुलिस सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र व मतदान केन्द्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें साथ ही मतदान केन्द्र के पहुंच मार्ग, मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर रूट चार्ट व क्षेत्र का नक्शा रखें।

3. मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें निरीक्षण में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें की प्रत्येक बूथ में पेयजल, शौचालय, बिजली, रैम्प की व्यवस्था, छाया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उचित व्यवस्था है।
4. सेक्टर पुलिस अधिकारियों से वल्नरेबल व क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर, मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों व प्रभावित हो रहें व्यक्तियों की सूची तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. मतदाता पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव या बल का भय दिखाकर या उपयोग कर उसे स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से मतदान करने वाले व्यक्तियों व समूहों की पहचान कर उनके विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।
6. सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने केन्द्रों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं एकत्र करें। सूचनाओं का आदान-प्रदान सम्बन्धित से त्वरित रूप से करें।
7. लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सेक्टर पुलिस अधिकारी की तैनाती विधानसभावार की गयी है।
8. सेक्टर पुलिस अधिकारियों को जो दायित्व दिये गये है उनका निर्वहन संवेदनशील होकर करें। निर्वाचन प्रक्रिया में अपना बेस्ट परफार्मेंस दें।

<u>दिनांक 16.03.2024 से अब तक कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण-</u>

1. 107/116(3) द0प्र0सं0 – 31266 व्यक्ति
2. 151 द0प्र0सं0 की कार्यवाही— 1452 व्यक्ति
3. अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी—57 अभियुक्तों से 124.476 कि0ग्रा0 गांजा, 0.268 कि0ग्रा0 हेरोइन व 0.268 कि0ग्रा0 अन्य मादक पदार्थ बरामद।
4. अवैध शराब की बरामदगी—268 व्यक्तियों से 4303 ली0 देशी शराब व 234 ली0 अंग्रेजी शराब बरामद।
5. अवैध शस्त्र/कारतूस की बरामदगी— 64 शस्त्र/75 कारतूस
6. गुण्डा एक्ट/ गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही— 164 व्यक्ति
7. लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये- 7376

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।